(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 55/2023 तारीख दायरा 07.09.2023

उनवान

1. आकाश नागर पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तह0 सांगोद।
2. किरण पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद।
3. हेमलता बाई पत्नि स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. रामकुंवार उर्फ रामकुंवार पुत्र श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामदयाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. लाड बाई पुत्री श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. जमना बाई पत्नि श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. गोकुल बाई पुत्री श्री रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
6. सीता बाई पत्नि श्री रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उपस्थित :—

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादीगण) दिनांक :— 22.5.[illegible]

श्री रामनिवास नागर (वकील प्रतिवादीगण)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के माल में निम्न लिखित आराजी स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/15 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

विवरण आराजी :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
2	169	0.01 हैक्टर
	170	1.06 हैक्टर
	220	0.58 हैक्टर
	231	1.29 हैक्टर
	232	0.01 हैक्टर
	233	1.15 हैक्टर
	322	0.26 हैक्टर
	33	1.09 हैक्टर
	कुल किता 8	रकबा 5.45 हैक्टर

यह कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी नं0 1 का नाम वादी के पिता की मृत्यु के बाद गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जबकि ओमप्रकाश जी के अतुल नाम का कोई लडका नहीं है तथा ओमप्रकाश जी के आकाश नाम का लडका है, राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से ही आकाश को ही अतुल दर्ज कर दिया है, जबकि वादी का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका एवं आधार कार्ड में नाम अतुल नहीं होकर आकाश दर्ज है, जिसमें वादी अतुल का नाम राजस्व रेकार्ड में शुद्धि की घोषणा करवाना आवश्यक है तथा वादीगण आकाश एवं किरन राजस्व रेकार्ड में बालिग हो जाने के कारण भी नाबालिग दर्ज कर रखा है, जिसमें भी

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वादीगण को राजस्व रेकार्ड में अतुल का नाम आकाश शुद्ध करवाकर आकाश एवं किरन को नाबालिग से बालिग दर्ज करवाने की घोषणा करवाना आवश्यक होने से माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित ग्राम गेंहूखेडी खाता संख्या 2 में वर्णित आराजी में वादी का नाम अतुल के स्थान पर आकाश शुद्ध कर आकाश एवं किरण को नाबालिग से बालिग दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी स. 1, 3, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास नागर द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र क अनुसार वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी सं. 2 व 4 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थिति होने के कारण इनकी विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रावली की आदेशिका पर प्रकरण में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया गया।. इसके उपरान्त वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में माल ग्राम गेंहूखेडी की खाता नं0 नई 2 की कुल 8 किता की कुल 5.45 है0 आराजी की नकल जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजात आदि प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 7 फॉमर्ल पक्षकार है। प्रकरण में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, इकबाली जवाब दावा, शिक्षा संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम ग्राम गेंहूखेडी की खाता नं0 नई 2 की कुल 8 किता की कुल 5.45 है0 आराजी रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम अतुल के स्थान पर आकाश शुद्ध कर आकाश एवं किरण को नाबालिग से बालिग दर्ज करने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक २१।५।२०२५ को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द प्राथमिक डिकी मुकदमात इत्यादि

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 07.09.2023

प्रकरण संख्या : 55/2023

उनवान

1. आकाश नागर पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम गेहूखेडी तह0 सांगोद।
2. किरण पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद।
3. हेमलता बाई पत्नि स्व0 श्री ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. रामकुंवार उर्फ रामकुंवार पुत्र श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामदयाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. लाड बाई पुत्री श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. जमना बाई पत्नि श्री बिरधीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. गोकुल बाई पुत्री श्री रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
6. सीता बाई पत्नि श्री रामकल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :— दिनांक :— 22.5.2025

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादीगण)

श्री रामनिवास नागर (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू श्री रामनिवास नागर प्रतिवादीगण मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि —

माल ग्राम ग्राम गेंहूखेडी की खाता नं0 नई 2 की कुल 8 किता की कुल 5.45 है0 आराजी रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम अतुल के स्थान पर आकाश शुद्ध कर आकाश एवं किरण को नाबालिग से बालिग दर्ज करने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** . .खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मोहर ....

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	---------NIL-----		स्टाम्प वकालतनामा	....	---------NIL-----	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक				मीजान	....		
मीजान	....						

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद